Charactery and Consequent and the second sec

South Dork 14. out

OFFICE-MEMORANDUM

Subject. Payment of fee under the Right to Information Act, 2005 - scope of section (3) of Section 7 of the Act

The Undersigned is directed to say that a question is raised from time to whether a Public Information Officer (PIO) has power to charge fee under Sec 7(3) of the RTI Act, 2005 in addition to fee prescribed under Sections 6(1), 7(1) 7(5) of the Act.

Section 6(1) of the Act enables the Government to prescribe application

and sub-sections (1) and (5) of Section 7 to prescribe fee in addition to applicate fee for supply of information. On the other hand sub-section (3) of Section provides the procedure which a PIO has to follow for realizing the fee prescription and the procedure which a PIO has to follow for realizing the fee prescription and sub-sections (1) and (5) of the Section. Details of fees that can be charged a public authority under the Central Government are contained in the Righ Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, 2005. The Rules or the Act do give power to the PIO to charge any fee other than prescribed in the Fee and (Rules. Attention in this regard is invited to following extracts from the common of passed by the Central Information Commission in Appeal No. CIC/MA/A/2008/0 (Shri K.K. Kishore Vs. Institute of Company Secretaries of India) and Comp No.CIC/WB/C/2007/00943 (Shri Subodh Jain Vs. Dy. Commissioner of Police):

"The Act under proviso to sub-section (5) of Section 7 also provides that prescribed under sub-sections (1) and (5) of Section 7 shall be reason and no such fee shall be charged from the persons who are below powerine as may be determined by the Appropriate Government. Government has already prescribed fees as deemed reasonable manda under Sections 7(1) and 7(5) of the Act and in the view of the Commiss

there is no provision for any further fee apart from the one already prescr


under Sections 7(1) and 7(5) of the Act".

13(21)

Thus there is presented for sharper of the property of the application for a character of the which is one of the parameter of the model and the property of the format. But there is no provision for any total in the model and the property of the prescribed under Section 6(1), 7(1) and 7(3) on the Act the conserved of contravention of the Edght to Information Act. The "further is a seculous Section 7(3) only refers to the procedure in availing of the forther becomes of the big prescribed under 7(5) of the RTI Act, which is "further" in terms of the big fee of Rs. 10/- Section 7(3), therefore provides for procedure for reality the fees so prescribed".

- 3. The Commission, while delivering decision in above cases, recommends this Department to make rules, for charging fee towards supply of information with may include fee for supply of books, maps, plans, documents, samples, models that are priced and towards postal/courier charges for mailing information, vipostal/courier charges are in excess of minimum stab prescribed by the Department of Posts and for other similar situations.
- 4. The Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, 2005 all provide provisions for charging of fee for giving information in diskettes or floppi in the form of photo copy; for providing samples, models, printed material like b maps, plans etc; and for inspection of records. The Government have, howeve considered it desirable to charge fee towards expenditure involved in m information or overhead expenditure etc. Nevertheless, supply of information form which would disproportionately divert the resources of the public author taken care of by Section 7(9) of the Act according to which information ordinarily be provided in the form in which it is sought but supply of information particular form may be refused if supply of information in that form would diverge our establishment of the public authority disproportionately.
- 5. It is hereby clarified that where a Public Information Officer takes a decise provide information on payment of fee in addition to the application fee, he addetermine the quantum of such fee in accordance with the fee prescribed unce Fee and Cost Rules referred to above and give the details of such fee applicant together with the calculation made to arrive at such fee. Since the the Rules do not provide for charging of fee towards postal expenses or cost in in deployment of man power for supply of information etc., he should not applicant to pay fee on such account. However, wherever supply of information particular form would disproportionately divert the resources of the public authority would be detrimental to the safety or preservation of the records, the PIO may to supply the information in that form.

6.



- All the Ministries/Departments of the Government of todia
- Union Public Service Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sal Secretariat/Cabinet Secretary/Central Vigilance Commission/Preside Secretariat/Vice-President's Secretariat/Prime Minister's Office/Plant Commission/Election Commission
- State Information Commissions

Pensioners Welfare.

- 4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
- O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Zafar M New Delhi.

All Officers/Desks/sections, DOP&T and Department of Pension

- Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.
- Copy also to: Central Information Commission with reference to Commission's recommendation referred to above.

edition and the entropy in the control of the contr

100 - 110 - 15 to 4

ं कार्यालयः वापल

विषय सूचता का अधिकार अधिवियम २००५ के अतमेत शृतक का भृततात अधिवियम की धारा () का कार्यक्षेत्र ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समय समय पर यह प्रश्न ठठाय जाता रहा है कि क्या जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3) के अंतर्गत अधिनियम की धाराओं 6(1), 7(1) तथा 7(5) के अंतर्गत नियह शुल्क के अतिरिक्त शुल्क वसूल करने का अधिकार है ।

2. अधिनियम की धारा 6(1) सरकार को आवेदन शुल्क निर्धारित करने तथा धारा 7 के उपधाराएं (1) एवं (5) सूचना की आपूर्ति करने के लिए आवेदन फीस के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है । दूसरी और, धारा 7 की उपधारा (3) में उस प्रक्रिया के व्यवस्था है, जिसका पी.आई.ओ को धारा की उपधाराएं (1) एवं (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्व वसूल करने के लिए अनुपालन वस्ता होता है । ऐसे शुल्कों के व्यौरे, जिन्हें केव्द्रीय सरकार वे अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकता है, सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का नियमावली, 2005 में समाविष्ट हैं । नियम या अधिनियम पी.आई.ओ. को नियत शुल्क एवं लागत नियमावली के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वसूल करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता । इस संबंध में अपील सं. सी.आई.सी/एम.ए/ए/2008/01085 (श्री के. के. किशोर बतान इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तथा शिकायत सं. सी.आई.सी डब्ल्यू.बी/सी/2007/00943 (श्री सुबोध जैन बनाम पुलिस उपायुक्त) में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वार दिए गए निर्णय के निम्निलिखित भाग की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

"धारा 7 की उप-धारा (5) के परन्तुक के अंतर्गत अधिनियम में यह भी व्यवस्था कि धारा 7 की उप-धारा (1) एवं (5) के अंतर्गत निर्धारित शुक्क उपयुक्त होगा तथ उपयुक्त सरकार द्वारा नियत की गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगों रो ऐर शुक्क नहीं वसूला जाएगा । सरकार ने धारा 7(1) तथा 7(5) के अंतर्गत उपयुक्त समझा गया शुक्क पहले ही निर्धारित कर दिया है । आयोग के अनुसार अधिनियक्ती धारा 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शुक्क के अतिरिक्त किसी और शुक्क व कोई प्रावधान नहीं है ।"

XXX

XXX

XXX

- 3. उक्त मामलों से निर्णय देते हुए आयोग वे इस विभाग को सुनवा की आएंते के लिए शुल्क वसूलने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की है । इसमें पुस्तकों, नवशों, योजनाओं दस्तावेजों, नमूनों, मोडलों आदि की आपूर्ति करने के लिए तथा डाक विभाग द्वारा वियत व्यूवत्तव स्लैब से अभिक प्रभार होने पर झकाकोरियर प्रभार के लिए तथा इसी प्रवत्तर की अव्य किरें स्थिति के लिए शुल्क लिया जा सकता है।
- या पलोंपी या फोटोकोंपी के रूप में सूचना देने के लिए शुल्क वसूलने के लिए, नमूनों, मॉडल मुद्रित सामग्री जैसे कि पुस्तकें, नक्शे. योजना आदि मुहैया करने के लिए, तथा रिकाडों व निरीक्षण करने के लिए शुल्क वसूलने के प्रावधान पहले ही विद्यमान हैं । तथापि, सरकार डा द्वारा सूचना भेजने या ओवरहैंड व्यय आदि में होने वाले व्यय के लिए शुल्क वसूल कर वांछनीय नहीं मानती है । तथापि यह ध्यान रखने लायक है कि अधिनियम की धारा १(९) अनुसार सामान्यतया सूचना ऐसे रूप में मुहैया की जाएगी, जिसमें वह मांगी गई है । परंतु य किसी विशेष रूप में सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का गैर-आनुपातिक व से व्यय हो, तो सूचना को उस रूप में देने से मना किया जा सकता है ।
- 5. एतद्दारा स्वष्ट किया जाता है कि जहां जन सूचना अधिकारी आवेदन शुल्क अतिरिक्त शुल्क के शुगलान पर सूचना मुहैया करने का निर्णय ले, तो उसे उक्त शुल्क एवं ला नियमावली के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अनुसार ही शुल्क की मात्रा निश्चित करनी चाहिए ते ऐसे शुल्क की गणना सहित आवेदक को शुल्क संबंधी व्यारे देने चाहिए। क्योंकि अधिनियम नियमावली में डाक संबंधी व्याय या सूचना की आपूर्ति करने के लिए जनशिक के नियोजन व्याय होने वाली लागत के लिए शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे इनके प्रावदिक से शुल्क नहीं मांगना चाहिए। तथापि, जहां किसी विशेष रूप में सूचना की आलेक प्राधिकरण के संसाधनों को गैर-आनुपातिक रूप से व्यय कराए या सुरक्षा या रिकार्डी सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकर हो, तो पी.आई.ओ. उस रूप में सूचना की आपूर्ति करने इन्कार कर सकता है।

(0)(b)()

1 mg/ 1 mg 1 mg

- अवस्त सरकार के एकी अवस्थानीवेशाय ।
- 3. राज्य सूचना आयोग ।
- 4 कर्मचारी चयन आयोग, सी जी ओ. कॉम्पलेवस, नई दिल्ली ।
- शारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, १० बहादुरशाह जफर म नई दिल्ली ।
- 6 सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेशन एवं पेशनमोर्ग कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित - सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव । प्रतिलिपि प्रेषित - उपर्युक्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग ।